न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)

ब हुजलास - इन्द्राजसिंह R.A.S.

प्रार्थना पत्र सं. 362/2019

निर्णय दिनांक 5-3-2020

बिशनदयाल पुत्र खीवकरण उर्फ खीवाराम जाति नाई निवासी वार्ड नं. 27 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

—प्रार्थी

बनाम

1. निरंजन शर्मा पुत्र पालीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं० 6 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. नोरंगराम शर्मा पुत्र नन्दराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं० 10 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू
3. दलीप पुत्र सतपाल जाति गुरडा निवासी कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. रविन्द्र पुत्र श्योजीराम जाति मेघवाल निवासी गुलपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act.

—

उपस्थित :-

1. श्री बलवीरसिंह अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. " अजीतसिंह अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 3 व 4

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह

2.

प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पैमाइश व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि मूल ख० न० 1360 तादादी 2.91 है० वाके रोडी कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित रही है जो प्रार्थी की खातेदारी में 2.33 है० एवं उसके भाई मृतक रतनलाल की खातेदारी में 0.58 है० रही है। प्रार्थी के भाई मृतक रतनलाल ने अपने जीवन काल में ही अपने नाम से दर्ज रही खातेदारी कृषि भूमि तादादी 0.58 है० को जरिए बैनामा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम विक्रय कर दिया जो अब अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से ख० न० 2218/1360 तादादी 0.58 है० दर्ज चली आ रही है प्रार्थी के पास रही 2.33 है० के ख० न० 2219/1360 बने है प्रार्थी की इस खातेदारी कृषि भूमि ख० न० 2219/1360 तादादी 2.33 है० में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकल जाने से इसकी 0.5461 है० अर्थात 2.03 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त कर ली गई इस कारण से प्रार्थी की ख० न० 2219/1360 की कृषि भूमि के नये ख० न० 2646/2219 तादादी 1.7679 है० का रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम की ओर रहा है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व में नये ख० न० 2648/2219 तादादी 0.0160 बने है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रकबे के ख० न० 2647/2219 तादादी 0.5461 है० बने है वाहते अवलोकन राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र के संलग्न है।

प्रार्थी की कृषि भूमि ख० न० 2646/2219 तादादी 1.7679 है० राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम के चिपते ही पश्चिम की ओर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख० न० 2218/1360 तादादी 0.58 है० रोडी कस्बा राजगढ़ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की ख० न० 2647/2219 तादादी 0.5461 है० के पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी की ख० न० 2648/2219 तादादी 0.0160 है० कृषि भूमि है जिसके पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि ख० न० 2646/2219 तादादी 1.7679 है० पश्चिमी सीमा का एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख० न० 2648/2219 तादादी 0.0160 है० की पूर्वी सीमा का विवाद बना रखा है जो इन सीमों को उखाड़ कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर जबरन काबिज होना चाह रहे है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को सीमा विवाद ना बनाने के लिए बार-बार आग्रह भी किया लेकिन

व ऐसा मानने से इन्कार हो गया। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि की पुख्ता सीमा को न तोड़ने बाबत अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया तो उन्होंने दिनांक 22.12.2019 को व मुकाम राजगढ़ में ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए यही तारीख प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है। आदि-आदि पेश कर अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र के अभिकथनों का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को दोहराया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से कथन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए मनघड़ंत, विरोधाभासी गलत तरीके से अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थी लोभी लालची प्रकृति का व्यक्ति है जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के चिपते जोहड़ की भूमि भी और खिसकाना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि कस्बा राजगढ़ के पश्चिमी तरफ ख0 न0 1358 तादादी 0.18 हे0 गै0 मु0 जोहड़ व 1359 तादादी 2.53 हे0 गै0 मु0 पायतन भूमि रोही कस्बा राजगढ़ में अवस्थित है जिनकी पुख्ता निशान से चारों भुजाओं की पैमाईश कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि भी पुख्ता निशान से चारों भुजाओं की पैमाईश करने के बाद ही प्रार्थी की भूमि की पैमाईश की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश करवाकर अपने खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह पैमाईश के मुताबिक कायम करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया गया है ऐसे में मौका पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवा कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर योग्य टीम से पैमाईश पुख्ता सीमा चिन्ह से पक्षकारान की उपस्थिति में करके सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार राजगढ़ योग्य टीम गठित करके रोही कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख० नं० 2646/2219 तादादी 1.7679 हे० पश्चिमी सीमा की एवं कृषि भूमि ख० नं० 2648/2219 तादादी 0.0160 हे० की पूर्वी सीमा की पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमाईश पड़ोसी खातेदारान व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशान देही की जाकर सीमाओं पर पुख्ता पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश की पालना करवा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्थरगढ़ी से पूर्व सीमाज्ञान करवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)